उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग

आदेश

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 16 -दिनांक 20.12.2012 द्वारा Cigarettes and other Tobacco Products Act (COPTA)-2003 की धारा-5 के Monitoring हेतु जिला स्तरीय समिति के गठन का निदेश प्राप्त है।

उक्त निदेश के आलोक में जिला स्तरीय समिति, हजारीबाग की संरचना निम्न प्रकार की जाती है:-

1.	उपायुक्त-	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक-	सदस्य
3.	जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी--	सदस्य
4.	औषधि एवं खाद्य निरीक्षक-	सदस्य
5.	श्री भवानी शंकर गुप्ता, सचिव, 'सपोर्ट ' स्वयं सेवी संस्था, हजारीबाग--	सदस्य

6. उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा मनोनित सदस्य:--
   (1) डॉ0 सुशील कुमार टोप्पो,
   प्राचार्य, संत कोलम्बा महाविद्यालय, हजारीबाग
   (2) डॉ0 सविता शीतल , मनोवैज्ञानिक,
   संत कोलम्बा महाविद्यालय, हजारीबाग
   (3) डॉ0 जमाल अहमद, शिक्षाविद्,
   संत कोलम्बा महाविद्यालय, हजारीबाग

ह0/-
उपायुक्त, हजारीबाग

ज्ञापांक..................../ दिनांक फरवरी, 2013ई0

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, हजारीबाग/औषधि एवं खाद्य निरीक्षक, हजारीबाग/श्री भवानी शंकर गुप्ता, सचिव, सपोर्ट स्वयं सेवी संस्था, हजारीबाग/डॉ0 सुशील कुमार टोप्पो, प्राचार्य, संत कोलम्बा महाविद्यालय, हजारीबाग/डॉ0 सविता शीतल, मनोवैज्ञानिक, संत कोलम्बा महाविद्यालय, हजारीबाग/डॉ0 जमाल अहमद, शिक्षाविद्, संत कोलम्बा महाविद्यालय, हजारीबाग को भारत सरकार के आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2008 की छाया प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है।

प्रतिलिपि:-- असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/--
उपायुक्त हजारीबाग

(32)

ज्ञापांक 215/

दिनांक 13 फरवरी, 2013ई0

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार को भवदीय ज्ञापांक 16 दिनांक 20.12.2013 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- राज्य नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम, State Leprosy Building, NCD Cell, RCH कैम्पस, नामकोम, रांची-834010 को सूचनार्थ प्रेषित ।

Manil Raja
उपायुक्त, हजारीबाग

कार्यालय :– उपायुक्त –सह–अध्यक्ष जिला दण्डाधिकारी, हजारीबाग।
पत्रांक 07/NTCP/16 हजारीबाग, दिनांक 28/06/2016
(सामान्य शाखा)
–: आदेश :–

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन एवं प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम **Cigrate and other tobacco products (prohibition of advertishment and Regulation of Trade and Commerce Production] Supply and Distribution Act** 2003 को हजारीबाग जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 16/NTCP/2013 रांची , दिनांक 09.5.2013 के आलोक में उपायुक्त – सह– अध्यक्ष,जिला स्वास्थ्य समिति ,हजारीबाग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति का गठन किया जाता है। जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वयसेवी संस्था के निम्नांकित सदस्य होंगे ।

1.उपायुक्त सह अध्यक्ष,जिला स्वास्थ्य समिति,हजारीबाग	अध्यक्ष
2.पुलिस अधीक्षक,हजारीबाग	सदस्य
, 3.असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग	सदस्य सचिव
4.अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग	सदस्य
5.उप विकास आयुक्त, हजारीबाग	सदस्य
6.जिला नोडल पदाधिकारी (NCD) पदाधिकारी, हजारीबाग	सदस्य–सह–समन्वयक
7.अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग	सदस्य
8.जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग	सदस्य
9.जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, हजारीबाग	सदस्य
10.जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग	सदस्य
11.जिला खादय,सुरक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग	सदस्य
12.अध्यक्ष,आई .एम.ए.,हजारीबाग	सदस्य
13.सचिव भारतीय रेड कास सोसाईटी, हजारीबाग	सदस्य
14.प्रतिनिधि सीडस (सोसियो ईकोनोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट, सोसाईटी)	सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम से संबंधित विभिन्न कार्यो का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी, जो निम्नलिखित है :–

- COTPA-2003 को पूरे जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने,चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू कराने एवं मूल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना ।
- प्रखण्ड एवं गांव स्तर से कमिटी का गठन एवं उसकी नियमित बैठक त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित करना।
- अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का अनुपालन प्रभावी रूप से अनुपालन कर रहें हैं कि नहीं उसका अनुश्रवण करना
- तम्बाकू से संबंधित मामले में निर्णय लेना तथा प्रखण्ड स्तरीय समिति को मार्गदर्शन देना।
- COTPA की विभिन्न धाराओं यथा–धारा–4,5,6, एवं 7 का उलंघन के विशिष्ट मामलों में कार्यवाई करना तथा राज्य एवं जिला स्तरीय समिति को सुचित करना।
- DLCC के मनोनीत सदस्यों की त्रैमासिक बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना ।
- तम्बाकु और संम्बद्व उत्पादों के प्रत्यक्ष ,अप्रत्यक्ष एवं SURROGATE विज्ञापन के बारें में शिकायत दर्ज कराने हेतु जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रकिया के अनुसार कार्यवाई सुनिश्चित करना ।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 28/6/16
उपायुक्त – सह– अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति ,हजारीबाग

ज्ञापांक 07/NTCP/16 हजारीबाग , दिनांक 28/06/2016
प्रतिलिपिः– सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपिः–आयुक्त,हजारीबाग प्रमण्डल/पुलिस उप महानिरीक्षक,हजारीबाग प्रमडल को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 28/6/16
उपायुक्त – सह– अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति ,हजारीबाग

ज्ञापांक 07/NTCP/16 हजारीबाग , दिनांक 28/06/2016
प्रतिलिपिः–राज्य नोडल पदाधिकारी/राज्य परामर्शी ,एन0सी0डी0सेल झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–निदेशक प्रमुख स्वस्थ्य सेवाऐं ,झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–अभियान निदेशक,राष्टीय स्वास्थ्य मिशन,झार,खण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपिः–सरकार के प्रधान सचिव ,स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 28/6/16
उपायुक्त – सह– अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति ,हजारीबाग

कार्यालय :– उपायुक्त –सह–अध्यक्ष जिला दण्डाधिकारी, हजारीबाग

पत्रांक.....04......../NTCP/16 हजारीबाग, दिनांक...28|06|...2016

(सामान्य शाखा)

–: आदेश :–

सरकार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ,झारखण्ड रांची के पत्रांक 130 (HSN) दिनांक 24.08.2015 के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन एवं प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम **Cigrate and other tobacco products (prohibition of advertishment and Regulation of Trade and Commerce Production] Supply and Distribution Act** 2003 के विभिन्न धाराओं के प्रभावी अनुपालन संनिश्चित किये जाने के निमित प्रखण्ड स्तरीय छापामारी दल का गठन किया जाता है। प्रखण्ड स्तरीय छापामारी दल में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

1 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,	अध्यक्ष
2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
3. प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	सदस्य
4 प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	सदस्य
5. श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी	सदस्य
6 प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक	सदस्य
7 संबंधित थानाध्यक्ष	सदस्य

यह दल प्रखण्ड क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों,सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विकय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उक्त अधिनियम के उल्लंधकर्ताओं पर नियमानुसार चालान/जूर्माना (रूपये.......... तक) की कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने–अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामारी दल के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित करते हुए महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधो0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे, साथ ही उनके द्वारा प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी की भी सेवाऐं ले सकते हैं।

विश्वासभाजन

उपायुक्त – सह– अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति
,हजारीबाग

ज्ञापांक 04/NTCP/16 हजारीबाग , दिनांक 28|06|2016

प्रतिलिपिः–सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–आयुक्त,हजारीबाग प्रमण्डल/पुलिस उप महानिरीक्षक,हजारीबाग प्रमडल को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

उपायुक्त – सह– अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति
हजारीबाग

ज्ञापांक 04/NTCP हजारीबाग , दिनांक 28|06|2016

प्रतिलिपिः–राज्य नोडल पदाधिकारी/राज्य परामर्शी ,एन0सी0डी0सेल झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं ,झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अभियान निदेशक,राष्टीय स्वास्थ्य मिशन,झार,खण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–सरकार के प्रधान सचिव ,स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त – सह– अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति ,
हजारीबाग

(8)

कार्यालय :— उपायुक्त —सह—अध्यक्ष जिला दण्डाधिकारी, हजारीबाग।

पत्रांक 06/NTCP/16 हजारीबाग, दिनांक 28/06/2016

(सामान्य शाखा)

—: आदेश :—

सरकार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ,झारखण्ड रांची के पत्रांक 130 (HSN) दिनांक 24.08.2015 के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन एवं प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम **Cigrate and other tobacco products (prohibition of advertishment and Regulation of Trade and Commerce Production] Supply and Distribution Act** 2003 के विभिन्न धाराओं के प्रभावी अनुपालन संनिश्चित किये जाने के निमित जिला स्तरीय छापामारी दल का गठन किया जाता है। जिला स्तरीय छापामारी दल में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

1. अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग	अध्यक्ष
2 .आरक्षी उपाधीक्षक,हजारीबाग	सदस्य
3. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग	सदस्य
4 जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग	सदस्य
5. जिला खादय,सुरक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग	सदस्य
6 .जिला नोडल पदाधिकारी (NCD) पदाधिकारी, हजारीबाग	सदस्य—सह—समन्वयक
7. औषधि निरीक्षक,हजारीबाग	सदस्य
8.जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग	सदस्य
9.जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति) हजारीबाग	सदस्य
10.श्रम अधीक्षक,हजारीबाग	सदस्य
11.संबंधित थानाध्यक्ष,हजारीबाग	सदस्य

यह दल जिले के सार्वजनिक स्थलों,सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विकय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उक्त अधिनियम के उल्लंधकर्ताओं पर नियमानुसार चालान/जूर्माना (रूपये.......... तक) की कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे। एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित करेंगे । साथ ही प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन

उपायुक्त — सह— अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति
,हजारीबाग

ज्ञापांक 06/NTCP/16 हजारीबाग , दिनांक 28/06/2016

प्रतिलिपिः— सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः—आयुक्त,हजारीबाग प्रमण्डल/पुलिस उप महानिरीक्षक,हजारीबाग प्रमडल को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

उपायुक्त — सह— अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति
हजारीबाग

ज्ञापांक 06/NTCP/16 हजारीबाग , दिनांक 28/06/2016

प्रतिलिपिः—राज्य नोडल पदाधिकारी/राज्य परामर्शी ,एन0सी0डी0सेल झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं ,झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अभियान निदेशक,राष्टीय स्वास्थ्य मिशन,झार,खण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः—सरकार के प्रधान सचिव ,स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त — सह— अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति ,
हजारीबाग

कार्यालय :– उपायुक्त –सह–अध्यक्ष जिला दण्डाधिकारी, हजारीबाग

पत्रांक 05/NTCP/16 हजारीबाग, दिनांक 28/6/2016

(सामान्य शाखा)

–: आदेश :–

सरकार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ,झारखण्ड रांची के पत्रांक 130 (HSN) दिनांक 24.08.2015 के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन एवं प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम **Cigrate and other tobacco products (prohibition of advertishment and Regulation of Trade and Commerce Production] Supply and Distribution Act** 2003 के विभिन्न धाराओं के प्रभावी अनुपालन संनिश्चित किये जाने के निमित अनुमडल स्तरीय छापामारी दल का गठन किया जाता है। अनुमण्डल स्तरीय छापामारी दल में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

1 अनुमण्डल,पदाधिकारी, हजारीबाग / बरही	अध्यक्ष
2. अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,हजारीबाग	सदस्य
3. कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग	सदस्य
4 अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग	सदस्य
5. उपाधीक्षक अनुमण्डलीय अस्पताल, हजारीबाग	सदस्य
6 अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग	सदस्य
7.संबंधित थानाध्यक्ष,हजारीबाग	सदस्य

यह दल अनुमण्डलीय क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों,सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विकय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उक्त अधिनियम के उल्लंधकर्ताओं पर नियमानुसार चालान/जूर्माना (रूपये........... तक) की कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी अपने– अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामारी दल के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित करते हुए महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधो0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में अनुमण्डल पदाधिकारी अनुमण्डल स्तर के अन्य पदाधिकारी का भी सेवाएं ले सकते हैं।

विश्वासभाजन

उपायुक्त – सह– अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति
,हजारीबाग

ज्ञापांक 05/NTCP/16 हजारीबाग , दिनांक 28/06/2016

प्रतिलिपिः–सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–आयुक्त,हजारीबाग प्रमण्डल/पुलिस उप महानिरीक्षक,हजारीबाग प्रमडल को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

उपायुक्त – सह– अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति
हजारीबाग

ज्ञापांक 05/NTCP/16 हजारीबाग , दिनांक 28/6/2016

प्रतिलिपिः–राज्य नोडल पदाधिकारी/राज्य परामर्शी ,एन0सी0डी0सेल झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं ,झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अभियान निदेशक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,झार,खण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–सरकार के प्रधान सचिव ,स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त – सह– अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति ,
हजारीबाग